

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 25-03-2026

विषय सूची

पर्यावरणीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु न्यायिक प्रोत्साहन
सशस्त्र बलों में महिलाओं पर सर्वोच्च न्यायालय
हिमालयी खतरों के बावजूद लागत संबंधी चिंताओं से सुरक्षित भवन संहिता में विलंब
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार दबाव में
लोकसभा द्वारा कॉर्पोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित

संक्षिप्त समाचार

लितानी नदी

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC)

ग्लोबई नेटवर्क (GlobE Network)

अतिचालकता (Superconductivity)

पर्यावरणीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु न्यायिक प्रोत्साहन

संदर्भ

- अनुच्छेद 51A (g) का उल्लेख करते हुए न्यायपालिका ने यह रेखांकित किया कि व्यापार करने का अधिकार पृथ्वी को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- CSR एक व्यवसाय मॉडल है जो कंपनियों को इस प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे समाज और पर्यावरण को सुदृढ़ करें, साथ ही अपने हितधारकों एवं जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें।
- **CSR में चार श्रेणियाँ सम्मिलित हैं:** पर्यावरणीय प्रभाव, नैतिक उत्तरदायित्व, परोपकारी प्रयास, और वित्तीय जिम्मेदारियाँ।
- **भारत में CSR:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कुछ कंपनियों को CSR गतिविधियों हेतु अनिवार्य रूप से एक निश्चित राशि का योगदान करना होता है।
 - जिन कंपनियों पर CSR प्रावधान लागू होते हैं, उनके निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने विगत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करे।
- यह लाभ कमाने और सामाजिक जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय आर्थिक लक्ष्यों का पीछा करते हुए समाज में सकारात्मक योगदान दें।

अनुच्छेद 51A(g)

- अनुच्छेद 51A(g) एक मौलिक कर्तव्य है (पर्यावरण संरक्षण)।
- यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और संविधान के भाग IVA के अंतर्गत आता है।
- यह प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जिसमें वन, नदियाँ, झीलें एवं वन्यजीव सम्मिलित हैं।

- न्यायालयों ने अनुच्छेद 51A(g) को अनुच्छेद 21 से जोड़ा है, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का विस्तार हुआ है।

भारत में CSR वित्तपोषण की खामियाँ

- **मानव-केंद्रित पक्षपात:** CSR व्यय सामाजिक क्षेत्रों की ओर अत्यधिक झुका हुआ है—शिक्षा (38%), स्वास्थ्य सेवा (22%), और ग्रामीण विकास (10%), जबकि पर्यावरण को केवल 7–9% प्राप्त होता है।
- **पर्यावरणीय मुद्दों की धारणा:** कंपनियाँ प्रायः पर्यावरणीय समस्याओं को दीर्घकालिक या दूरस्थ खतरे मानती हैं और तत्काल सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हैं।
- **पुनर्स्थापन में कम कॉर्पोरेट योगदान:** बॉन चैलेंज के अंतर्गत निजी कंपनियों ने भारत के पुनर्स्थापित 9.8 मिलियन हेक्टेयर में केवल ~2% का योगदान दिया, जो एक बड़ी पुनर्स्थापन खाई को दर्शाता है।
- **“त्वरित परिणाम” की प्राथमिकता:** कंपनियाँ जागरूकता अभियानों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।
 - ये दृश्य, अल्पकालिक एवं रिपोर्ट करने में आसान होते हैं, जबकि दीर्घकालिक पुनर्स्थापन कठिन होता है।

अनुशंसाएँ

- **पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्प्राप्ति दृष्टिकोण की ओर बदलाव:** न्यायिक प्रोत्साहन अनुपालन-आधारित CSR से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन रणनीति की ओर बढ़ने का आह्वान करता है।
- **कॉर्पोरेट जवाबदेही का पुनर्परिभाषण:** पारंपरिक लेखा-परीक्षण को समयबद्ध पुनर्स्थापन लक्ष्यों और पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलनों से प्रतिस्थापित किया जाए।
- **परिणाम-आधारित सूचकांक:** सफलता को ठोस पारिस्थितिकी सेवाओं जैसे मृदा में कार्बन संचयन, जल धारण क्षमता, जैव विविधता पुनर्प्राप्ति के माध्यम से मापा जाना चाहिए।
- **क्षतिग्रस्त परिदृश्यों पर ध्यान:** दूरस्थ और क्षतिग्रस्त वनभूमियों को प्राथमिकता दी जाए, जिन्हें पर्याप्त संसाधन एवं ध्यान नहीं मिल पाता।

- **संस्थागत सहयोग:** वन विभागों, विश्वविद्यालयों, NGOs, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के बीच साझेदारी स्थापित की जाए ताकि वैज्ञानिक रूप से पर्यवेक्षित पुनर्स्थापन इकाइयाँ बनाई जा सकें।
- **नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र:** बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु पुनर्स्थापन ट्रस्ट या निधियों की स्थापना की जाए।

निष्कर्ष

- भारत में CSR एक अल्पकालिक, दृश्यता-प्रेरित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जबकि पर्यावरणीय पुनर्स्थापन—जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है—अपर्याप्त वित्तपोषित, जटिल और उपेक्षित बना हुआ है।

स्रोत: TH

सशस्त्र बलों में महिलाओं पर सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग (Permanent Commission - PC) और समान करियर अवसरों का अधिकार प्रदान किया।

पृष्ठभूमि

- महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा आयोग (Short Service Commission - SSC) के माध्यम से शामिल किया गया था, जिसमें सीमित कार्यकाल और प्रतिबंधित करियर उन्नति होती थी।
- पूर्ववर्ती निर्णयों में, जैसे 2020 के *बबीता पुनिया* मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि महिला अधिकारियों को स्थायी आयोग (PC) और सभी सेवाओं में कमांड पदस्थापन दिए जाएँ, सिवाय युद्धक भूमिकाओं के।
 - हालाँकि, कार्यान्वयन संबंधी समस्याएँ बनी रहीं और मूल्यांकन, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति प्रणालियों में संरचनात्मक पक्षपात महिलाओं के लिए बाधा बने रहे।

- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:** करियर उन्नति में समान अवसर अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत संवैधानिक दायित्व है।

स्थायी आयोग और अल्पकालिक सेवा आयोग

- **स्थायी आयोग (PC):** सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति आयु तक पूर्णकालिक करियर, साथ ही पेंशन और सेवानिवृत्ति उपरांत लाभा।
- **अल्पकालिक सेवा आयोग (SSC):** सेवा अवधि 10-14 वर्ष तक सीमित होती है, जिसके बाद अधिकारियों को बाहर होना पड़ता है यदि PC प्रदान न किया जाए। SSC पूरा करने के बाद अधिकारी पेंशन के पात्र नहीं होते।

महिलाओं के लिए स्थायी आयोग (PC) की स्थिति

- **भारतीय वायु सेना:** वायु सेना ने महिलाओं को लगभग सभी शाखाओं में PC प्रदान कर सबसे प्रगतिशील सेवा के रूप में पहचान बनाई है। इसमें युद्धक भूमिकाओं जैसे लड़ाकू पायलटों में भी महिलाओं को शामिल किया गया है, जिससे लैंगिक एकीकरण का मानक स्थापित हुआ।
- **भारतीय नौसेना:** नौसेना ने महिलाओं के लिए PC को कई कैडरों में विस्तारित किया है और उन्हें युद्धपोतों तथा अग्रिम पंक्ति की भूमिकाओं में नियुक्त किया है, जो परिचालन समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
- **भारतीय थल सेना:** महिला अधिकारियों को 12 शाखाओं और सेवाओं में स्थायी आयोग प्रदान किया जा रहा है, साथ ही आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स एवं मिलिट्री नर्सिंग सेवा में भी।

सशस्त्र बलों में महिलाओं का महत्व

- **आदर्श और प्रेरणा:** महिला सैनिक भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत हैं, जो सैन्य करियर अपनाने की आकांक्षा रखती हैं।
- **वैश्विक छवि और सॉफ्ट पावर:** यह भारत की लैंगिक समावेशिता और प्रगतिशील सुधारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में विश्वसनीयता बढ़ाता है।
- **परिचालन प्रभावशीलता:** महिलाएँ विविध दृष्टिकोण, नेतृत्व शैली और समस्या-समाधान दृष्टिकोण लाती हैं,

जो शांति स्थापना, खुफिया, चिकित्सा सेवाओं एवं मानवीय मिशनों जैसी भूमिकाओं में उपयोगी हैं।

महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **सीमित सुविधाएँ:** भारतीय सेना में महिलाओं को महिला-विशिष्ट बैरक, शौचालय और अन्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **उत्पीड़न और भेदभाव:** सशस्त्र बलों में महिलाओं ने लैंगिक आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव का अनुभव होने की रिपोर्ट दी है।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:** पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ प्रायः महिलाओं को सैन्य करियर अपनाने से हतोत्साहित करती हैं या उनके उन्नति अवसरों को सीमित करती हैं।

निष्कर्ष

- रक्षा बलों में महिलाओं का समावेश केवल समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध में परिचालन आवश्यकता भी है।
- संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान सशस्त्र बलों को अधिक समावेशी, प्रभावी और भविष्य के लिए तैयार बनाएगा।

स्रोत: TH

हिमालयी खतरों के बावजूद लागत संबंधी चिंताओं से सुरक्षित भवन संहिता में विलंब

संदर्भ

- भारत के भूकंप सुरक्षा संहिता की समीक्षा की जा रही है क्योंकि सरकार ने एक दशक के वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित अद्यतन भवन मानकों को वापस ले लिया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार समर्थित एक दशक लंबे अध्ययन, जिसमें भूकंप विज्ञान, भूविज्ञान और संरचनात्मक अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ शामिल थे, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं:
 - वर्तमान भूकंपीय जोखिम आकलन पुराने या अत्यधिक सतर्क हैं।
 - आवासीय भवनों, पुलों और बाँधों को संभावित भूकंप क्षति।

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अद्यतन भूकंप-प्रतिरोधी डिजाइन मानदंडों को वापस ले लिया क्योंकि कैबिनेट सचिवालय की चिंताएँ थीं कि कठोर मानदंड:
 - परियोजना लागत बढ़ाएँगे।
 - चल रही अवसंरचना (जैसे मेट्रो रेल परियोजनाएँ) को प्रभावित करेंगे।

IS 1893 'भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन हेतु मानदंड'

- यह पाँच भागों वाला दस्तावेज़ है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- यह अनिवार्य दिशा-निर्देश प्रदान करता है जिन्हें अभियंता और वास्तुकारों को पालन करना होता है ताकि भवन एवं अवसंरचना भूकंपीय गतिविधियों को सहन कर सकें।
- भारत के भूकंपीय ज़ोनिंग मानचित्र देश को चार ज़ोन (Zone II, III, IV और V) में विभाजित करते हैं।
 - Zone II भारत के भूकंपीय परिदृश्य का सबसे शांत क्षेत्र है।

पूर्ववर्ती ज़ोनिंग ढाँचे की खामियाँ

- **पश्चदृष्टि आधारित ज़ोनिंग दृष्टिकोण:** पहले भूकंपीय ज़ोनिंग ने क्षेत्रों (Zone IV/V) को केवल बड़े भूकंपों के बाद वर्गीकृत किया, जिससे यह पूर्वानुमानात्मक के बजाय प्रतिक्रियात्मक रहा।
- **भूकंपीय अंतराल का कम आकलन:** जिन क्षेत्रों में टेक्टोनिक तनाव संचित था लेकिन हाल में भूकंप नहीं हुए थे, उन्हें गलत तरीके से कम जोखिम वाला माना गया।
- **स्थानीय मृदा की स्थिति की उपेक्षा:** ढाँचे ने मृदा के प्रवर्धन प्रभावों को नज़रअंदाज़ किया, जो भूमि कंपन और संरचनात्मक क्षति को काफी बढ़ा सकते हैं।
- **भूकंपीय आँकड़ों का अपर्याप्त उपयोग:** राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अंतर्गत 168 निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आँकड़ों को जोखिम आकलन में पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया।
- **अपर्याप्त वैज्ञानिक पद्धति:** संभाव्य भूकंपीय जोखिम आकलन (PSHA) को अपनाने की कमी ने अधूरा और कम सटीक जोखिम अनुमान उत्पन्न किया।

- **संक्षिप्त भूकंपीय अभिलेख:** भारत का उपकरण-आधारित भूकंप अभिलेख केवल लगभग एक सदी पुराना है, जबकि ऐतिहासिक अभिलेख अपूर्ण और असंगत हैं, जिससे दीर्घकालिक जोखिम आकलन कठिन हो जाता है।

नए मानकों की प्रमुख विशेषताएँ

- **बड़ी जनसंख्या जोखिम में:** भारत की लगभग 79% जनसंख्या मध्यम से गंभीर भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में रहती है, जो अद्यतन भूकंपीय मानकों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
- **नए मानचित्र में उच्चतर PGA मान:** संशोधित जोखिम मानचित्र उच्चतर पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन (PGA) मान (0.75 g तक) प्रस्तावित करता है, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुमान को लगभग दोगुना करता है।
- **Zone VI का परिचय:** एक नया भूकंपीय Zone VI उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किया गया है जहाँ PGA > 0.6 g है, विशेषकर हिमालय और पूर्वोत्तर में, जिससे जोखिम विभेदन बेहतर हुआ है।
- **सुधारित वैज्ञानिक आधार:** नया आकलन बड़े आँकड़ा-संग्रह (2600 ईसा पूर्व-2019 तक के 69,000+ भूकंप) एवं उन्नत संभाव्य पद्धति का उपयोग करता है, जिससे यह अधिक विश्वसनीय बनता है।
- **वैश्विक संरेखण:** संशोधित PGA मान भारत को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाते हैं; जापान और अमेरिका जैसे देश उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अक्सर ~1 g या उससे अधिक के लिए डिजाइन करते हैं।

पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन (PGA)

- PGA भूकंप की तीव्रता को मापता है, जिसे सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण (g) के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- मान सामान्यतः 0.10g से कम (निम्न भूकंपीयता) से लेकर 0.30g से अधिक (उच्च भूकंपीयता) तक होते हैं, जबकि चरम घटनाएँ 1.0g से अधिक हो सकती हैं।

निष्कर्ष

- संशोधित भूकंपीय मानचित्र वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और वास्तविकता के अधिक निकट है, किंतु इसके

कार्यान्वयन से वहनीयता, व्यवहार्यता एवं प्रवर्तन को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। यह सुरक्षा एवं लागत के बीच एक पारंपरिक नीति-दुविधा को जन्म देता है।

स्रोत: TH

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार दबाव में

संदर्भ

- मार्च 2026 तक भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) का लगभग एक-तिहाई (लगभग 36%) भाग खाली है, जिससे पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) क्या हैं?

- SPRs कच्चे तेल के आपातकालीन भंडार होते हैं जिन्हें सरकारें आपूर्ति व्यवधान और मूल्य आघातों से निपटने के लिए बनाए रखती हैं।
- इसका विचार 1973 के तेल संकट के बाद सामने आया, जब तेल आपूर्ति में व्यवधान ने आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरी उजागर की।
- भारत में SPRs का प्रबंधन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
- **मौजूदा SPR सुविधाएँ:** भारत ने कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) क्षमता वाले SPR स्थापित किए हैं:
 - विशाखापट्टनम (1.33 MMT)
 - मंगलूरु (1.5 MMT)
 - पडूर (2.5 MMT)
- 2021 में दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-सामरिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाएँ घोषित की गईं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 6.5 MMT है:
 - चांदीखोल (4 MMT) – ओडिशा
 - पडूर (2.5 MMT) – कर्नाटक

SPRs की वर्तमान स्थिति

- भारत के पास वर्तमान में लगभग 3.372 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल है, जो कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का लगभग 64% है।

- इससे प्रभावी भंडार कवरेज लगभग 5 दिनों तक सीमित हो जाता है, जो पूर्ण क्षमता पर उपलब्ध ~9.5 दिनों से काफी कम है, और भारत की आपातकालीन तैयारी को कमजोर करता है।
- महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग *हॉर्मुज जलडमरूमध्य*, जिसके माध्यम से भारत के 40-50% कच्चे तेल आयात गुजरते हैं, संघर्ष-जनित व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।

ईंधन सुरक्षा के लिए इसका महत्व

- **आयात-निर्भरता के कारण संवेदनशीलता:** भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 88% से अधिक आयात करता है। कम SPR स्तर लंबे समय तक आपूर्ति व्यवधानों का सामना करने की क्षमता घटाते हैं।
- **आपूर्ति झटकों के विरुद्ध सीमित बफर:** SPRs अल्पकालिक आपातकालीन कवरेज प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। केवल ~64% क्षमता भरी होने से युद्ध या प्रतिबंध जैसी परिस्थितियों में भारत का बफर कमजोर हो जाता है।
- **वैश्विक मानकों से नीचे:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 90 दिनों के तेल भंडार की अनुशंसा करती है। भारत के पास वर्तमान में वाणिज्यिक भंडार सहित लगभग 74 दिन का भंडार है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक लाभ:** अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश SPRs को सामरिक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। सीमित भंडार भारत के वैश्विक ऊर्जा बाजारों में प्रभाव को कम करते हैं।

आगे की राह

- **वर्तमान क्षमता भरना:** SPRs को प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहिए, विशेषकर तब जब वैश्विक तेल कीमतें कम हों।
- **भंडारण क्षमता बढ़ाना:** 90-दिन भंडार मानक को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना।
- **ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा बढ़ाना।
- **सामरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना:** SPRs का उपयोग ऊर्जा सुरक्षा और बाजार हस्तक्षेप दोनों के उपकरण के रूप में करना।

स्रोत: IE

लोकसभा द्वारा कॉर्पोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित

संदर्भ

- कॉर्पोरेट विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और विस्तृत परीक्षण हेतु इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है।
- यह विधेयक *कंपनी अधिनियम, 2013* और *लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008* में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार हो।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **कॉर्पोरेट अपराधों का अपराधमुक्तिकरण:** विधेयक कई छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक दायित्व से हटाकर मौद्रिक दंड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी का भार कम करना और व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाना है।
- **दंड का युक्तिकरण:** दंड को उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है।
- **नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** विधेयक कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, विलंब कम करना और निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।
- ये परिवर्तन **कंपनी विधि समिति (CLC) 2022** की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस प्रक्रिया में उद्योग संगठनों, विधि विशेषज्ञों और हितधारकों से परामर्श शामिल था।
- **CSR प्रावधानों से संबंधित परिवर्तन:** विधेयक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) हेतु शुद्ध लाभ की गणना में संशोधन का प्रस्ताव करता है। हालाँकि, *कंपनी अधिनियम, 2013* के अंतर्गत अनिवार्य 2% CSR व्यय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है?

- संयुक्त संसदीय समिति एक *एड-हॉक समिति* होती है जिसे संसद किसी विशेष विधेयक या मुद्दे की विस्तृत जाँच के लिए गठित करती है।

- इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, जिससे व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- इसे एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव और दूसरे सदन द्वारा सहमति के माध्यम से गठित किया जाता है।

स्रोत: AIR

संक्षिप्त समाचार

लितानी नदी

समाचार में

- इजराइल-हिज्बुल्लाह तनाव ने लितानी नदी क्षेत्र पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इजराइल टायर (UNESCO विश्व धरोहर शहर) के निकट खतरों के बीच नदी तक बफर ज़ोन बनाने की कोशिश कर रहा है।

लितानी नदी के बारे में

- लितानी नदी (लेबनान के भीतर पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी) दक्षिणी लेबनान में एक प्रमुख स्वच्छ जल का स्रोत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है।



- इसका उद्गम बेक्रा घाटी (पूर्वी लेबनान की उपजाऊ अंतःपर्वतीय घाटी) में होता है।
- यह दक्षिण की ओर बहती है, लगभग सीरियाई सीमा के समानांतर, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर टायर के निकट भूमध्य सागर में गिरती है।

सामरिक महत्व

- यह नदी ब्लू लाइन (लेबनान और इजराइल के बीच UN-मान्यता प्राप्त सीमा) के निकट स्थित है।

- इजराइल लितानी नदी के दक्षिणी क्षेत्र को हिज्बुल्लाह रॉकेट हमलों और सीमा-पार घुसपैठ के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर ज़ोन (सुरक्षात्मक सुरक्षा पट्टी) मानता है।

UNSC प्रस्ताव 1701 से संबंध

- 2006 लेबनान युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1701 पारित किया।
- इसमें यह आवश्यक किया गया कि ब्लू लाइन और लितानी नदी के बीच का क्षेत्र सशस्त्र कर्मियों, हथियारों और सैन्य संसाधनों से मुक्त रहे।

स्रोत: TH

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

संदर्भ

- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दशक को रेखांकित किया गया।

BIS के बारे में

- **स्थापना:** BIS का गठन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किया गया।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में पांच कार्यालय।
- **मुख्य कार्य:**
 - ♦ मानक निर्माण (जैसे भारतीय मानक कोड)।
 - ♦ उत्पाद प्रमाणन (जैसे गुणवत्ता आश्वासन हेतु ISI चिह्न)।

स्रोत: AIR

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

संदर्भ

- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है, जिसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है।

पुरस्कार के बारे में

- **उद्देश्य:** आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों के अमूल्य योगदान को मान्यता और सम्मान देना।

- पुरस्कार श्रेणियाँ:
 - **व्यक्ति:** प्रशस्ति-पत्र और पदक।
 - **संस्थान:** प्रशस्ति-पत्र और पट्टिका।
- **पात्रता:** भारतीय नागरिक और संस्थान दोनों पात्र हैं।
- नामांकन पूरे वर्ष खुले रहते हैं।
- आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है।
- स्व-नामांकन और तृतीय-पक्ष नामांकन दोनों की अनुमति है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में

- वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:** 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।
- **आज़ाद हिंद रेडियो (1942):** जर्मनी में स्थापित किया, ताकि भारतीयों तक स्वतंत्रता का संदेश पहुँचाया जा सके।
 - उन्होंने कई देशभक्ति नारे दिए, जैसे “जय हिंद,” “दिल्ली चलो,” और “मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।”
- **भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA):** 1942 में जापानी सहयोग से INA का गठन किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था।
- **आज़ाद हिंद सरकार (1943):** अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः “शहीद” और “स्वराज” रखा।
 - 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार (आज़ाद हिंद सरकार) की स्थापना की घोषणा की।
- उन्होंने महात्मा गांधी को प्रथम बार “राष्ट्रपिता” कहा, अपने सिंगापुर संबोधन में।
- **विरासत:** वे राष्ट्रवादी आंदोलन में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं और उनकी विरासत आज भी भारत और विश्वभर में लोगों को प्रेरित करती है।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC)

संदर्भ

- भारत सरकार ने दंत परिषद (DCI) को समाप्त कर एक नए नियामक राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC) की स्थापना की है।

राष्ट्रीय दंत आयोग के बारे में

- राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम, 2023 के अंतर्गत स्थापित।
- **उद्देश्य:** दंत शिक्षा में नियामक सुधार लाना और सुलभ मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना।
- **प्रमुख कार्य:**
 - अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु विनियम बनाना।
 - दंत संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करना।
 - मानव संसाधनों का आकलन और दंत अनुसंधान को बढ़ावा देना।
 - निजी दंत महाविद्यालयों में शुल्क विनियमन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना।
 - सामुदायिक दंत चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और व्यावसायिक नैतिकता के मानक निर्धारित करना।
- **संस्थागत संरचना:** इसके कार्यों को समर्थन देने हेतु तीन स्वायत्त बोर्ड गठित किए गए हैं:
 - स्नातक और स्नातकोत्तर दंत शिक्षा बोर्ड – दंत शिक्षा की देखरेख हेतु।
 - दंत मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड – मान्यता एवं संस्थागत मूल्यांकन का नियमन।
 - नैतिकता और दंत पंजीकरण बोर्ड – व्यावसायिक आचरण एवं दंत चिकित्सकों के पंजीकरण का संचालन।

स्रोत: PIB

ग्लोबई नेटवर्क (GlobE Network)

संदर्भ

- भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक परिचालन नेटवर्क ऑफ़ एंटी-कॉरप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज (GlobE Network) की 12वीं संचालन समिति बैठक की मेजबानी की।

ग्लोबई नेटवर्क के बारे में

- **स्थापना:** 2021 में
- **विकास:** इसकी पहल G20 एंटी-करण मंत्रीस्तरीय बैठक 2020 से हुई, जिसने रियाद पहल को समर्थन दिया।
- **सदस्यता:** यह नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय (UNCAC) के पक्षकार देशों की भ्रष्टाचार-रोधी प्रवर्तन संस्थाओं के लिए खुला है।
- **संचालन:** नेटवर्क का संचालन इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) इसका सचिवालय प्रदान करता है।
- **भारत की भूमिका:** भारत 2022 में नेटवर्क से जुड़ा, जिसमें CBI और ED इसके दो नामित सदस्य संस्थान हैं। 2024 में भारत 15-सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया।

स्रोत: AIR

अतिचालकता (Superconductivity)

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने प्रेशर क्वेंचिंग नामक तकनीक का उपयोग कर परिवेशीय (कक्ष तापमान) दबाव पर अतिचालक संक्रमण तापमान को 18 °C तक बढ़ाया है, जिससे अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर अतिचालकता संभव हो सकी है।

अतिचालकता

- अतिचालकता वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ एक महत्वपूर्ण तापमान से नीचे शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।
 - सैद्धांतिक रूप से यह विद्युत ऊर्जा को दो बिंदुओं के बीच पूर्ण दक्षता से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जिसमें ऊष्मा के रूप में कोई हानि नहीं होती।
 - इसकी खोज 1911 में हाइड्रोजन-ऑक्सीजन द्वारा की गई थी।
- हाल के वर्षों में शोधकर्ता यह सीमा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अतिचालक पदार्थ को कार्य करने के लिए कितना ठंडा होना आवश्यक है।

अनुप्रयोग

- **विद्युत संचरण:** बिना हानि के विद्युत प्रवाह, लंबी दूरी पर ऊर्जा दक्षता में सुधार।
- **चिकित्सीय इमेजिंग:** MRI मशीनों में सुदृढ़ और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र हेतु।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** उन्नत कंप्यूटरों के लिए अतिचालक क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) बनाने में।
- **मैग्लेव ट्रेनें:** ट्रेनों को कम घर्षण के साथ तैरने और उच्च गति से चलने में सक्षम बनाती हैं।

स्रोत: TH

